**प्रेस नोट**
**जनपद सोनभद्र**
**दिनांक 11.07.2024**

# थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस टीम ने 04 नफर जनपदीय लूटेरों को किया गिरफ्तार, लूटी गयी सोने की चैन, मंगलसुत्र, दो अदद मोबाइल व एक अदद तंमचा 315 बोर मय कारतूस बरामद –

**प्रकरण-** दिनांक-09.07.2024 को आवेदक महेश कुमार पुत्र अमृत लाल निवासी महोखर, थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक-08.07.2024 को मै और मेरी पत्नि अपनी मोटरसाइकिल से पुलिस लाइन से सर्किट हाउस के तरफ जा रहे थे कि बीच रास्ते में लघु शंका के लिए रुके तभी 04 से 05 अज्ञात लोगों द्वारा हम दोनो दम्पत्ति को घेर कर तमंचा दिखाते हुए जान से मारकर इसी जंगल में फेक देने की धमकी देते हुए मेरी पत्नि का सोने का चैन, मंगल सुत्र, कान का झाल, मोबाइल व 2000 रुपये छीन लिया गया । उक्त घटना की प्राप्त सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0-500/2024 धारा 308(5) भारतीय न्याय संहिता का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

उक्त घटना की शीध्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉ0 यशवीर सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी नगर को विशेष निर्देश देते हुए पुलिस की टीम गठित की गयी । उक्त प्राप्त निर्देश के क्रम मे क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रॉबर्ट्सगंज पर गठित पुलिस टीम ने घरातलीय सूचना तैयार कर त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक-11.07.2024 को समय 10.40 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के सोन कैनाल पम्प के पास बने वर्कशाप, चुर्क से लूट की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनेक कब्जे से एक सोने की चैन, एक मंगल सुत्र, एक सोने की लाकेट, दो अदद मोबाइल, एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद कारतूस व 830 रुपये नगद बरामद किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग की धारा 309(4), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

## पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोग एक साथ संगठित होकर पैसा कमाने के उद्देश्य से आस-पास के क्षेत्रों में सन्नटा जगहों पर तमंचा दिखाकर व डरा धमकाकर दम्पत्ति, आने वाले परिवार वालों को तथा इधर-उधर धूमने वाले लडके-लड़कियों के सामानों व पैसों को लूट लेते है तथा आपस मे पैसों व सामानों का बटवारा कर लेते है जिससे हम लोगों अपने खर्च व शौक को पूरा करते है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

1.ओमप्रकाश पुत्र स्व0 चरकू उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी घसिया बस्ती रौप, थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र ।

2.लाल पुत्र नरेश उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी घसिया बस्ती रौप, थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र ।

3.मदन पुत्र सोमारु उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी घसिया बस्ती रौप, थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र ।

4.श्रीराम पुत्र नरायन उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी घसिया बस्ती रौप, थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र ।

**अभियुक्त ओमप्रकाश का अपराधिक इतिहास-**

1.मु0अ0सं0-5/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र ।

2.मु0अ0सं0-299/2021 धारा 307, 399, 402 भादवि, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र ।

3.मु0अ0सं0-303/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र ।

**अभियुक्त लल्ला का अपराधिक इतिहास-**

1.मु0अ0सं0-125/2021 धारा 323, 452 भादवि, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र ।

**बरामदगी का विवरण**

1.एक सोने की चैन, एक मंगल सुत्र, एक सोने की लाकेट ।

2.एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद कारतूस ।

3.दो अदद मोबाइल व 830 रुपये नगद ।

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-**

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र राय, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र ।

2.उ0नि0 कमलनयन दूबे, चौकी प्रभारी चुर्क, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र ।

3.हे0का0 संजय कुमार, का0 अमन यादव, का0 अरुण कुमार यादव, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र ।